

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्या: 61/2025

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

1. ग्राम पंचायत, जावाल जरिये प्रशासक/ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, जावाल, तहसील व जिला- सिरोही
2. शंकरलाल पुत्र केसाजी, जाति-छीपा, निवासी-जावाल, तह0 व जिला-सिरोही

“निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994”

उपस्थिति:

श्री हरिराम, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही (प्रार्थी की ओर से)

—: निर्णय:—

दिनांक 04 नवम्बर, 2025

- (1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के पक्ष में पारित प्रस्ताव संख्या 5 दिनांक 12-3-2021 एवं अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत जारी पट्टा विलेख संख्या 22 दिनांक 22-3-2021 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।
- (2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये, लेकिन अप्रार्थीगण को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुये एवं न ही कोई जबाव प्रस्तुत हुआ। अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थी की ओर से श्री हरिराम, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही की बहस सुनी गई।
- (3) बहस के दौरान श्री हरिराम, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही ने निगरानी आवेदन में अंकित कथनों व तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित हुए यह व्यक्त किया कि तत्कालीन ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच हेतु उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रथम), ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक एफ 139(48)/पट्टा जांच/सिरोही/विधी/.स./2022/807 दिनांक 24-06-2022 के तहत तत्कालीन ग्राम पंचायत, जावाल के पट्टों की जांच के सम्बन्ध में प्रदत्त निर्देशों की पालना में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सिरोही के आदेश क्रमांक 559-65 दिनांक 23-07-2022 के द्वारा जांच कमेटी गठित की गई। जिसकी जांच रिपोर्ट में प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 12-03-2021 के द्वारा तत्कालीन ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा बुक संख्या 595 से जारी पट्टा विलेख संख्या 22 दिनांक 22-03-2021 में अनियमितता बरती जाने के कारण उक्त निगरानी प्रार्थी की ओर से विरुद्ध अप्रार्थीगण के प्रस्तुत की गई है। यह कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के अन्तर्गत ऐसे परिवार जिनके पास कई भी कोई गृह या गृह स्थल नहीं है, और जिनका वर्ष 2003 तक झुग्गी झोपड़ी/कच्चे गृह के निर्माण के तौर पर आबादी भूमि पर कब्जा है अधिकतम 300 वर्गगज तक कब्जे के निःशुल्क विनियमितीकरण के हकदार होंगे। ऐसी भूमि का पट्टा (प्रारूप 23 ख) ऐसी महिला को जारी किया जाएगा, जो ऐसी परिवार की मुखिया हो। प्रश्नगत पट्टे की पंचायत पत्रावली संख्या 254/2020-21 के तहत अप्रार्थी संख्या 02 को पट्टा विलेख संख्या 22 दिनांक 22-3-2021 को जारी करना दर्शाया है। अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा भूमि आवंटन

.....पेज दो पर



(Signature)
अति. जिला कलेक्टर
सिरोही (राज.)

के संबंध में कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार उक्त जारी विक्रय विलेख में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 145 की पालना पूर्ण रूप से नहीं की गई है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 146 के तहत स्थल निरीक्षण हेतु कमेटी गठित नहीं की गई है। उक्त विक्रय विलेख के संबंध में मौका निरीक्षण नहीं किया गया है। इस प्रकार, उक्त जारी पट्टा विलेख में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 146 की पालना पूर्ण रूप से नहीं की गई है। उक्त पट्टा विलेख में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 148 अनुसार यदि पंचायत अंतिम रूप से यह निश्चित करे कि विक्रय किया जाना है तो उपनियम (2) अधिकथित रिति से प्रारूप 22 में एक नोटिस प्रस्तावित विक्रय के सम्बन्ध में, इसके प्रकाशन के सम्बन्ध में एक मास के भीतर-2 आक्षेप आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित करेगी, उसकी एक प्रति विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि पर किसी सहज दृश्य स्थान पर लगाई जायेगी तथा दुसरी प्रति परिक्षेत्र के कम से कम दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के, उसे ऐसे लगाए जाने के परिणामस्वरूप हस्ताक्षर करने के उपरान्त कार्यालय में लौटाई जायेगी, परन्तु उपरोक्त पत्रावली में उक्त नियम की पालना पूर्ण रूप से नहीं की गई। अप्रार्थी संख्या 2 (दो) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का ग्राम पंचायत की कमेटी द्वारा निरीक्षण किया जाना था, जो कि नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत के बैठक रजिस्टर में दिनांक 12-3-2021 को बैठक किया जाना दर्शाया गया है, उस दिनांक में भी उपरी लेखन किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त विक्रय विलेख के संबंध में कोई पत्रावली मिसल संधारित नहीं की गई है एवं उक्त विक्रय विलेख जारी करने में नियम 145 से 157 की पालना नहीं की गई है। उक्त विक्रय विलेख में वर्णित भूमि के संबंध में अप्रार्थी संख्या 02 के भूखण्ड पर कब्जे के संबंध में कोई जांच नहीं की गई है। उक्त भूमि विक्रय के सम्बन्ध में वर्ष 2003 तक के कब्जे का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं कई ओर अन्यत्र आवास नहीं होने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त पट्टा विलेख पर सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है एवं उक्त पट्टा विलेख, नियम विरुद्ध पुरुष मुखिया के नाम से जारी किया गया है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 12-3-2021 एवं राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के पक्ष जारी पट्टा विलेख संख्या 22 दिनांक 22-03-2021 को निरस्त किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 12-3-2021 के अनुसरण में अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत पट्टा विलेख संख्या 22 दिनांक 22-3-2021 को जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के अन्तर्गत ऐसे परिवार, जिनके पास कहीं भी कोई गृह या गृह स्थल नहीं है और जिनका वर्ष 2003 तक झुग्गी-झोंपड़ी/कच्चे गृह के निर्माण के तौर पर आबादी भूमि पर कब्जा है, अधिकतम 300 वर्ग गज तक कब्जे के निःशुल्क विनियमितीकरण के हकदार होंगे। ऐसी भूमि का पट्टा (प्ररूप 23 ख) ऐसी महिला को जारी किया जायेगा जो ऐसे परिवार की मुखिया हो।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जांच प्रतिवेदन (जो जिला जन अभियोग एवं सर्तकता समिति, सिरोही में दर्ज प्रकरण संख्या 32/2022 में शिकायत/परिवाद की जांच के संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, सिरोही के द्वारा गठित जांच दल द्वारा जांच कर प्रस्तुत किया गया है) के अवलोकन से एवं न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध संबंधित रेकॉर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 2 (दो) द्वारा भूमि आवंटन के संबंध में कोई आवेदन पत्र

.....पेज तीन पर



[Signature]
अति. जिला कलेक्टर
सिरोही (राज.)

प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार, उक्त जारी विक्रय विलेख में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 145 की पालना पूर्ण रूप से नहीं की गई है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 146 के तहत स्थल निरीक्षण हेतु कमेटी गठित नहीं की गई है। उक्त विक्रय विलेख के संबंध में मौका निरीक्षण नहीं किया गया है। इस प्रकार, उक्त जारी पट्टा विलेख में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 146 की भी पालना नहीं की गई है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 148 अनुसार यदि पंचायत यह निश्चित करे कि भूमि विक्रय किया जाना है तो उपनियम (2) में अधिकथित रिति से प्रारूप 22 में एक नोटिस प्रस्तावित विक्रय के सम्बन्ध में, इसके प्रकाशन के सम्बन्ध में एक मास के भीतर-2 आक्षेप आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित करेगी, उसकी एक प्रति विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि पर किसी सहज दृश्य स्थान पर लगाई जायेगी तथा दुसरी प्रति परिक्षेत्र के कम से कम दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के, उसे ऐसे लगाए जाने के परिणामस्वरूप हस्ताक्षर करने के उपरान्त कार्यालय में लौटाई जायेगी, परन्तु उक्त विक्रय विलेख के संबंध में नियम 148 की भी पालना नहीं की गई है। अप्रार्थी संख्या 2 (दो) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का ग्राम पंचायत की कमेटी द्वारा निरीक्षण किया जाना था, जो कि नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत के बैठक रजिस्टर में दिनांक 12-3-2021 को बैठक किया जाना दर्शाया गया है, उस दिनांक में भी उपरी लेखन किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त विक्रय विलेख के संबंध में कोई पत्रावली/मिसल संधारित नहीं की गई है एवं उक्त विक्रय विलेख जारी करने में नियम 145 से 157 की पालना नहीं की गई है। उक्त विक्रय विलेख में वर्णित भूमि के संबंध में अप्रार्थी संख्या 02 (दो) के भूखण्ड पर कब्जे के संबंध में कोई जांच नहीं की गई है। उक्त भूमि विक्रय के सम्बन्ध में वर्ष 2003 तक के कब्जे का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं कई ओर अन्यत्र आवास नहीं होने की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। उक्त पट्टा विलेख पर सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं एवं उक्त पट्टा विलेख नियम विरुद्ध पुरुष मुखिया के नाम से जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार कर ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के पक्ष में पारित प्रस्ताव व पट्टा विलेख को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरौही विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के पक्ष में पारित प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 12-3-2021 एवं ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत जारी पट्टा विलेख संख्या 22 दिनांक 22-3-2021 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 04 नवम्बर, 2025 को सर-ए-ईजलास सुनाया गया।



(*Signature*)
 (डॉ. राजेश गोयल)
 अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
 सिरौही